न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 18 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दौलतराम पुत्र सोनराम जाति ब्राह्मण निवासी पांचलासिद्धा पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर		1 श्रवण कुमार पुत्र स्व. सालूराम 2 मदनलाल पुत्र स्व. सालूराम 3 चन्द्रभान पुत्र स्व. सालूराम 4 महादेव पौत्र स्व. सालूराम जातियान जाट निवासी माधानियों की ढाणी (ग्राम पींपलिया) पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर 5 दुलछी पुत्री स्व. सालूराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर 6 गीरा पुत्री स्व. सालूराम पत्नी शोभाराम जाति जाट निवासी मोरनावडा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 7 सरपंच ग्राम पंचायत पांचलासिद्धा पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति –

1 श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2 श्री रामकिशोर मुण्डेल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से।
3 श्री संदीप जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 17.08.2022

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायतीं राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पांचलासिद्धा द्वारा मिसल संख्या 04 के जरिए पट्टा सं. 05 दिनांक 09.06.1976 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.04.2021 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 23.06.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से श्री संदीप जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 05 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क ख) नागौर के निर्णय दिनांक 17.01.2012 की फोटोप्रति, डिक्री पर्चा की फोटोप्रति, माननीय जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 18.01.2021 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, कब्जा हटाने की पत्रावली की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत पांचलासिद्धा की पत्रावली की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 15.04.2021 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि

2(1)– तथाकथित पट्टा जैन निगरानी ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा द्वारा कभी भी स्व. सालूराम पुत्र मूलाराम जाट निवासी माधानियों की ढाणी के नाम जारी नहीं किया गया न ही उक्त भूमि का पट्टा किसी व्यक्ति विशेष के नाम जारी ही किया जा सकता है क्योंकि भूमि सार्वजनिक उपभोग की श्मशान व पगडंडी की भूमि रही है तथा ऐसे कथित पट्टा वावत् ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड भी नहीं है। आबादी भूमि का पट्टा बनाने व तैयार करने से पूर्व पट्टा हेतु विधिक कार्यवाही व प्रक्रिया अपनाई जाती है जबकि हस्तगत पट्टा बाबत ऐसी कोई पालना नहीं हो रखी है न आम सूचना प्रकाशित हुई है न आपति आमंत्रण किया न मौका निरीक्षण किया। कथित सालूराम के नाम से कथित पट्टा फर्जी तौर पर तैयार किया गया है, ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का कथित पट्टा गैर कानूनी होने से अवैध व शून्य था व है तथा निरस्तनीय है।

2(2)– अप्रार्थीगण या उनके पूर्वज स्व. सालूराम का वादग्रस्त भूमि पर कभी पर कोई मालिकाना हक व कब्जा नहीं रहा न ही उक्त भूमि पर उनका कोई पुश्तैनी कब्जा, निर्माण था। प्रार्थी पक्ष ने ग्राम पंचायत से जानकारी करने पर यह भी जानकारी हुई की ग्राम पंचायत के मूल रिकोर्ड से कथित पट्टे की प्रति का मिलान / निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त अवधि में किसी प्रकार का ऐसा पट्टा स्व. सालूराम के नाम जारी होने का कोई उल्लेख कार्यवाही रजिस्टर व रोकड बही में नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में हाल ही में प्रस्तुत कथित फर्जी पट्टे की प्रति के अवलोकन के पश्चात जांच में यह भी पाया गया की कथित पट्टा प्रति में पट्टा शुल्क की रसिद संख्या 29 दिनांक 09.06.1976 द्वारा 19 रुपये जमा करने का उल्लेख है जबकि तत्कालीन समय की ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका का अवलोकन करने पर उक्त राशि जमा होना नहीं पाया गया जिससे भी स्पष्ट है कि कथित पट्टा पूर्णतया फर्जी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा जारी आम सूचना दिनांक 10.08.1996 के संबंध में सूचना जारीकर्ता तत्कालीन सरपंच श्रीमति आईवूकी देवी के बयान लिये गये जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में

अपर कलक्टर, नागौर

इस तरह की कोई आम सूचना नहीं जारी करना बताया है। इस प्रकार हर दृष्टि से उक्त पट्टा फर्जी व कूटरचित तैयार किया होने से पट्टा अवैध, शून्य है, निरस्तनीय है।

2(3)– कथित भूमि के बाबत् पूर्व में आम जनता की ओर से स्व. सालूराम के विरूद्व न्यायालय सिविल जज नागौर में दावा विक्रय विलेख को निरस्त करने का पेश किया। उस वाद संख्या 23/11 हरिसिंह वगैराह बनाम सालूराम का निर्णय दिनांक 17.01.2012 को हुआ जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2001 जो सालूराम ने अपने पुत्र श्रवणकुमार के पक्ष में निष्पादित किया, उसको शून्य घोषित करते हुए निरस्त किया गया था तथा उक्त वाद में सालूराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थीगण को कायम मुकाम बनाया गया था व अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा भी जारी की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण लंबे समय से बदनियती पूर्वक उवत सार्वजनिक उपयोग उपभोग की कीमती जमीन को हडपने के लिए प्रयासरत रहे है। पहले फर्जी तरीके से विक्रय विलेख तैयार करवाया जिसको सिविल न्यायालय ने निरस्त कर दिया व उसके पश्चात उक्त भूमि बाबत् पट्टा होना बताया जाकर पट्टा सुदा भूमि होना अप्रार्थीगण क्लेम कर रहे है। ऐसी स्थिति में कथित पट्टा फर्जी व कूटरचित होने व सार्वजनिक उपयोग उपभोग की जायगा बाबत् बनावटी, पौसीदा तैयार किया जाने से निरस्तनीय है।

2(4)– कथित पट्टा में अधिकतर कॉलम खाली है, पट्टा सालूराम के हक में जारी करना बताया है और उसी पट्टा पर उपसरपंच के रूप में सालूराम के हस्ताक्षर सरपंच या उपसरपंच अपने पक्ष में अपने हस्ताक्षरों से ही न तो पट्टा तैयार कर सकते है न ऐसा विधि में प्रावधान व नियम है न ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि का बनाया जा सकता है। कथित पट्टा में पडौस आदि का अंकन भी मौके की स्थिति के विपरीत, मिथ्या व बनावटी दर्ज किये गये है व अन्य इन्द्राजात भी फर्जी है। ग्राम पंचायत के रिकोर्ड से उनका कोई संबंध नहीं है न ऐसी कोई मिसल ग्राम पंचायत कभी कायम हुई है। इन सभी परिस्थितयों में पट्टा अवैध, फर्जी होने से निरस्तनीय है।

2(5)– तथाकथित पट्टा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व कथित पट्टाधारी स्व. सालूराम की ओर से विधि अनुसार ग्राम पंचायत में न तो आवेदन पेश हो रखा है न ही आवेदन के साथ वादग्रस्त भूमि का नक्शा, निर्माण आदि को कोई विवरण पेश हुआ है तथा वादग्रस्त सार्वजनिक उपयोग उपभोग की श्मशान भूमि पर मालिकाना हक के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं हुआ है तथा पंचायत राज के नियमानुसार ऐसी जायगा का पट्टा जारी भी नहीं हो सकता है न ही ग्राम वासियों की मौजूदगी में कोई निरीक्षण कथित पट्टा जारी करने से पूर्व नहीं किया गया है न ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई नोटिस चस्पा किये। इस प्रकार उक्त तथा कथित पट्टा कानून के आज्ञापक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के भी सर्वथा विपरित होने से पूर्वतया अवैध व शून्य है।

2(6)– वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक आवागमन, उपयोग उपभोग, बच्चो के श्मशान, पानी की पाईपलाईन की सार्वजनिक उपयोग की भूमि रहती चली आई है। ऐसी भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय करने का ग्राम पंचायत को अधिकार भी नहीं होता है न ग्राम पंचायत ने ऐसी भूमि का कोई पट्टा कथित सालूराम के नाम कभी जारी ही किया था, मिसल नम्बर, पट्टा नम्बर आदि कथित पट्टा में फर्जी व बनावटी दर्ज किये हुए है जिनका कोई आधार नहीं है जिससे भी कथित पट्टा निरस्तनीय है।

2(7)– कथित पट्टा अप्रार्थीगण स्व. सालूराम के नाम को होना बताया जा रहा है जिससे निरस्त करवाने की निगरानी है जिसमें स्व. सालूराम के वारिसान जो सिविल न्यायालय में चले वाद में कायम मुकाम थे उन सभी को पक्षकार दर्ज किया जाकर निगरानी पेश की।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से अपनी बहस में बताया कि पंचायत निगरानी 45 वर्ष बाद पेश की है जो समय सीमा से बाहर है तथा केवल हितबद्व व्यक्ति द्वारा ही निगरानी पेश की जा सकती है। प्रार्थी इसमें हितबद्व व्यक्ति नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2015 की नजीर पेश की।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत पांचलासिद्वा, पंचायत समिति खींवसर के मिसल संख्या 4 के जरिए पट्टा सं. 5 दिनांक 09.06.1976 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त जायगा सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना प्रतीत होता है जिसका पट्टा किसी व्यक्ति विशेष के नाम जारी नहीं किया जा सकता है तथा पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमो की पालना नहीं की गई है एवं ग्राम पंचायत पांचलासिद्वा, पंचायत समिति खींवसर ने अपने पत्र क्रमांक 65 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा बताया कि तथाकथित पट्टे के संबंध में कोई मिसल/पत्रावली ग्राम पंचायत पांचलासिद्वा के कार्यालय में मौजूद व उपलब्ध नहीं रही है तथा ग्राम पंचायत पांचला सिद्वा द्वारा ऐसा कोई पट्टा कभी जारी नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में आदेश जेर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पांचलासिद्वा द्वारा मिसल संख्या 4 के द्वारा जारी पट्टा सं. 05 दिनांक 09.06.1976 को निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर